



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-09042024-253612
CG-UP-E-09042024-253612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1557]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2024/चैत्र 19, 1946

No. 1557]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2024/CHAITRA 19, 1946

रेल मंत्रालय

(पूर्वोत्तर रेलवे)

अधिसूचना

गोरखपुर, 8 अप्रैल, 2024

का.आ. 1640(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के पत्र के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला, स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में बॉन्सी-बहराइच खण्ड को नई रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क.सं.	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) श्रावस्ती	श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. - W/Con/247/BG/G/Land Acquisition/Bansi - Bahraich/Spl.Project]

श्रीश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(NORTH EASTERN RAILWAY)

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 8th April, 2024

S.O. 1640(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) the central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special railway Project of "Bansi-Bahraich section of New Line Project" in the state mentioned in column(4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special railway project.

SCHEDULE

Special Railway Project

S.No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	"Additional District Magistrate (Finance / Revenue) - Shrawasti"	Shrawasti	Uttar Pradesh

[F. No. W/Con/247/BG/G/Land Acquisition/Bansi - Bahraich/Spl.Project]

SHRISH CHANDRA SRIVASTAVA Chief Administrative Officer/Construction